

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान  
झाबरमल पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट बनाम लक्ष्मणराम पुत्र बेगाराम जाति जाट वगै.  
सा. लालास तह. कुचामन सा. लालास तह. कुचामन

किस्म मुकदमा : 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 132/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2024) 26)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
28.03.2024	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल गुर्जर ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत डाक सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.04.2024 को पेश हो।</p> <p>29/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 18/6/24 को पेश हो।</p> <p>18/6/24 अधिवक्ता जीकी उपर तलबी पुनः पेश करेंगे कि 23/8/24 को पेश होगी</p> <p>29/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 29/10/24 को पेश हो।</p> <p>29/10/24 पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 18/12/24 को पेश हो।</p> <p>18/12/24 कहील वादी गैर हाजिर। कहील वादी व पत्न्याराम को जापाने लगवाई गयी बावजूद तारीख फिरी सूचना व जापाने लगाने पर हजरत में कोई हाजि नही हुआ कए। कहील वादी उ वाद खाम हाजरी व जफ्त घरेली में जापाने दिया जाता है मिलाव करने पर सजा दोष नही रहता है।</p>	<p>(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>

उपखण्ड अधिकारी  
- नावां